

यह पाठ केवल एक दस्तावेजीकरण उपकरण के रूप में है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। संघ की संस्थाएँ कोई दायित्व नहीं लेती हैं
इसकी विषय-वस्तु के लिए। प्रासंगिक अधिनियमों के प्रामाणिक संस्करण, जिनमें उनकी प्रस्तावनाएँ भी शामिल हैं, वे यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित हैं और EUR-Lex में उपलब्ध हैं। वे आधिकारिक पाठ इस दस्तावेज़ में एम्बेड किए गए लिंक
के माध्यम से सीधे सुलभ हैं।

बी आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2020/464

दिनांक 26 मार्च 2020

यूरोपीय संघ के विनियमन (ईयू) 2018/848 के आवेदन के लिए कुछ नियम निर्धारित करना
संसद और परिषद के बीच रूपांतरण के उद्देश्य के लिए अवधि की पूर्वव्यापी मान्यता के लिए आवश्यक दस्तावेजों, जैविक उत्पादों के उत्पादन और सदस्य राज्यों द्वारा प्रदान की जाने
वाली जानकारी के संबंध में चर्चा की जाएगी।

(ईईए प्रासंगिकता वाला पाठ)

(ओजे एल 98, 31.3.2020, पृ. 2)

इसके द्वारा संशोधित:

	आधिकारिक जर्नल		
	नहीं	पेज	तारीख
एम1 <u>आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2020/2042</u> दिनांक 11 दिसंबर 2020	एल 420	9	14.12.2020
एम2 <u>आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1849</u> दिनांक 21 अक्टूबर 2021	एल 374	10	22.10.2021
एम3 <u>आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1921</u> दिनांक 4 नवंबर 2021	एल 391	41	5.11.2021

बी

आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2020/464

दिनांक 26 मार्च 2020

यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुप्रयोग के लिए कुछ नियम निर्धारित करना, जो रूपांतरण के उद्देश्य के लिए अवधि की पूर्वव्यापी मान्यता के लिए आवश्यक दस्तावेजों, जैविक उत्पादों के उत्पादन और सदस्य राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के संबंध में हैं।

(ईईए प्रासंगिकता वाला पाठ)

अध्याय 1

परिवर्तन

अनुच्छेद 1

किसी पिछली अवधि की पूर्वव्यापी मान्यता के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले दस्तावेज

1. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 10(3) के बिंदु (ए) के प्रयोजनों के लिए, ऑपरटर उस सदस्य राज्य में सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जिसमें गतिविधि की जाती है और जिसमें उस ऑपरटर की होल्डिंग नियंत्रण प्रणाली के अधीन है, संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से आधिकारिक दस्तावेज यह साबित करते हैं कि जिन भूमि पारसल के लिए पिछली अवधि की पूर्वव्यापी मान्यता का अनुरोध किया गया है, वे उन उपायों के अधीन थे जिन्हें यूरोपीय संसद और परिषद (1) के विनियमन (ईयू) संख्या 1305/2013 के अनुसार कार्यान्वित कार्यक्रम में परिभाषित किया गया था और उन भूमि पारसल पर जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए अधिकृत उत्पादों या पदार्थों के अलावा किसी अन्य उत्पाद या पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है।

2. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 10(3) के बिंदु (बी) के प्रयोजनों के लिए, ऑपरटर उस सदस्य राज्य में सक्षम प्राधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसमें गतिविधि की जाती है और जिसमें ऑपरटर की होल्डिंग नियंत्रण प्रणाली के अधीन है, जो यह साबित करते हैं कि भूमि पारसल प्राकृतिक या कृषि क्षेत्र थे, जिन्हें कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए ऐसे उत्पादों या पदार्थों के साथ उपचारित नहीं किया गया है जो विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं हैं:

(क) पूर्वव्यापी मान्यता के अनुरोध द्वारा कवर किए गए प्रत्येक भूमि पारसल को स्पष्ट रूप से पहचानने वाले मानचित्र और उन भूमि पारसल की कुल सतह के बारे में जानकारी और, यदि प्रासंगिक हो, तो चल रहे उत्पादन की प्रकृति और मात्रा और जहां उपलब्ध हो, उनके भौगोलिक स्थान निर्देशांक;

(ख) नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा किया गया विस्तृत जोखिम विश्लेषण, यह आकलन करने के लिए कि क्या पूर्वव्यापी मान्यता के अनुरोध द्वारा कवर किए गए किसी भी भूमि खंड को ऐसे उत्पादों या पदार्थों के साथ उपचारित किया गया है जो कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं हैं, विशेष रूप से उस कुल सतह के आकार को ध्यान में रखते हुए जिससे अनुरोध संबंधित है और प्रत्येक भूमि पर उस अवधि के दौरान किए गए कृषि संबंधी अभ्यास

पारसल अनुरोध के अधीन;

(1) ग्रामीण विकास के लिए यूरोपीय कृषि कोष (ईएफएआरडी) द्वारा ग्रामीण विकास के समर्थन पर यूरोपीय संसद और परिषद के 17 दिसंबर 2013 के विनियमन (ईयू) संख्या 1305/2013 और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 1698/2005 (ओजे एल 347, 20.12.2013, पृष्ठ 487) को निरस्त करना।

बी

(सी) नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा प्रत्येक भूमि खंड से लिए गए मिट्टी और/या पौधों के नमूनों पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त प्रयोगशाला विश्लेषण के परिणाम, जिनमें बिंदु (बी) में संदर्भित विस्तृत जोखिम विश्लेषण के बाद जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं उत्पादों और पदार्थों के साथ उपचार किए जाने के परिणामस्वरूप संदूषण का जोखिम प्रस्तुत करने की पहचान की गई है;

(घ) पूर्वव्यापी मान्यता के अनुरोध द्वारा कवर किए गए भूमि पारसल पर एकत्रित जानकारी की संगतता को सत्यापित करने के उद्देश्य से ऑपरटर के भौतिक निरीक्षण के बाद नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय से एक निरीक्षण रिपोर्ट;

(ई) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जिसे नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के अनुरोध का आकलन करने के लिए आवश्यक समझा जाए मान्यता;

(च) नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय का अंतिम लिखित कथन, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि क्या किसी पूर्ववर्ती अवधि को रूपांतरण अवधि के रूप में पूर्वव्यापी मान्यता देना न्यायोचित है, तथा जिसमें संबंधित प्रत्येक भूमि खंड के लिए जैविक मानी जाने वाली आरंभिक अवधि के साथ-साथ किसी अवधि की पूर्वव्यापी मान्यता से लाभान्वित होने वाले भूमि खंडों की कुल सतह का भी उल्लेख हो।

अध्याय 2

पशुधन

खंड 1

गोजातीय पशु, भेड़ पशु, बकरा पशु और

अश्वारोही पशु

अनुच्छेद 2

मातृ दूध से पोषण देने की न्यूनतम अवधि

विनियमन (ईपू) 2018/848 के अनुलनक II के भाग II के बिंदु 1.4.1.(जी) में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि, दूध पीते पशुओं को अधिमानतः मातृ दूध खिलाने के लिए होगी:

(क) गोजातीय पशुओं और अश्ववंशीय पशुओं के लिए जन्म के 90 दिन बाद;

(ख) भेड़-बकरी वाले पशुओं और बकरियों वाले पशुओं के लिए जन्म के 45 दिन बाद।

अनुच्छेद 3

इनडोर और आउटडोर के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह

क्षेत्रों

गोजातीय पशुओं, भेड़ीय पशुओं, बकरियों वाले पशुओं और अश्वीय पशुओं के लिए भंडारण घनत्व और आंतरिक तथा बाहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सतह अनुलनक I के भाग I में निर्धारित अनुसार होगी।

अनुच्छेद 4

इनडोर क्षेत्र के लिए न्यूनतम सतह की विशेषताएं और तकनीकी आवश्यकताएं

गोजातीय पशुओं, भेड़ीय पशुओं, बकरियों वाले पशुओं और अश्वीय पशुओं के लिए अनुलनक I के भाग I में निर्धारित न्यूनतम आंतरिक क्षेत्र की सतह का कम से कम आधा भाग ठोस संरचना से बना होगा, अर्थात् स्लेटेड या ग्रिड संरचना से नहीं बना होगा।

□बी

अनुभाग 2

गर्भाशय ग्रीवा के जानवर

अनुच्छेद 5

मातृ दूध से पोषण देने की न्यूनतम अवधि

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग II के बिंदु 1.4.1.(जी) में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि, स्तनपान कराने वाले गर्भाशय ग्रीवा के पशुओं को अधिमानतः मातृ दूध पिलाने के लिए जन्म के 90 दिन बाद होगी।

अनुच्छेद 6

बाहरी क्षेत्रों के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह

गर्भाशय ग्रीवा के पशुओं के लिए, भंडारण घनत्व और बाहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सतह अनुबंध I के भाग II में निर्धारित अनुसार होगी।

अनुच्छेद 7

आउटडोर बाड़ों या पेन की विशेषताएं और तकनीकी आवश्यकताएं

1. जब भी परिस्थितियां अनुमति दें, तो ग्रीवा पशुओं को बाहरी बाड़ों या चारागाहों में रखा जाएगा।
2. बाहरी बाड़ों या बाड़ों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रजातियों के हिरणों को अलग किया जा सके।
3. प्रत्येक बाहरी बाड़े या पेन को या तो दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकेगा या किसी अन्य बाहरी बाड़े या पेन के समीप रखा जा सकेगा, ताकि प्रत्येक क्षेत्र या प्रत्येक बाहरी बाड़े पर रखरखाव के उपाय किए जा सकें।

बाड़े या कलम में क्रमिक रूप से।

अनुच्छेद 8

संरक्षित सुविधाओं और खुले वायु क्षेत्रों की वनस्पति और विशेषताओं के लिए आवश्यकताएं

1. हिरण पशुओं को दृश्य और मौसम सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अधिमानतः प्राकृतिक आश्रयों द्वारा जैसे वृक्षों और झाड़ियों के समूहों, वनों के भागों या जंगल के किनारों को बाहरी बाड़े या बाड़े में शामिल करना; यदि यह पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त सीमा तक संभव नहीं है, तो छत वाले कृत्रिम आश्रयों की व्यवस्था की जाएगी।
2. सींग वाले पशुओं के लिए बाहरी बाड़ों या बाड़ों में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए या वे वनस्पति से ढके होने चाहिए, जिससे पशु अपने सींगों से मखमली त्वचा को रगड़ सकें।
3. गर्भावस्था के अंतिम चरण में तथा जन्म के दो सप्ताह बाद, मादा पशुओं को वनस्पति से ढके क्षेत्रों तक पहुंच मिलनी चाहिए, जिससे वे अपने बच्चों को छिपा सकें।
4. बाहरी बाड़ों या बाड़ों के चारों ओर बाड़ इस प्रकार बनाई जाएगी कि हिरण जैसे जानवर भाग न सकें।

□बी

धारा 3

सुअर पशु

अनुच्छेद 9

मातृ दूध से पोषण देने की न्यूनतम अवधि

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग II के बिंदु 1.4.1.(जी) में निर्दिष्ट स्तनपान कराने वाले सुअर पशुओं को अधिमानतः मातृ दूध खिलाने के लिए न्यूनतम अवधि जन्म के 40 दिन बाद होगी।

अनुच्छेद 10

इनडोर और आउटडोर के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह क्षेत्रों

सुअर जैसे पशुओं के लिए भंडारण घनत्व तथा आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सतह, अनुलग्नक I के भाग III में निर्धारित अनुसार होगी।

अनुच्छेद 11

इनडोर और आउटडोर क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सतह की विशेषताएं और तकनीकी आवश्यकताएं

अनुलग्नक I के भाग III में निर्धारित आंतरिक क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र दोनों की न्यूनतम सतह का कम से कम आधा हिस्सा ठोस निर्माण से बना होगा, अर्थात् स्लेटेड या ग्रिड निर्माण से नहीं।

अनुच्छेद 12

खुली हवा वाले क्षेत्रों की वनस्पति और विशेषताओं की आवश्यकताएं

1. खुली हवा वाले क्षेत्र सुअरों के लिए आकर्षक होने चाहिए। जहां तक संभव हो, पेड़ों या जंगलों वाले खेतों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. खुले वायु क्षेत्र में बाहरी जलवायु के साथ-साथ आश्रय स्थलों तक पहुंच तथा सुअर पशुओं के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के साधन भी उपलब्ध होंगे।

अनुभाग 4

मुर्गापालन

अनुच्छेद 13

परिभाषाएं

इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

(क) 'मोटा करने वाले कुक्कुट' से तात्पर्य मांस उत्पादन के लिए अभिप्रेत कुक्कुट से है;

(ख) कुक्कुट घरों में कक्षों के संदर्भ में 'झुंड' का अर्थ है पक्षियों का समूह, जिन्हें अन्य कुक्कुट प्रजातियों के साथ मिश्रित न करते हुए एक साथ रखा जाता है, तथा जिनके अपने समर्पित आंतरिक और बाह्य क्षेत्र होते हैं;

(ग) 'भाई मुर्गा' से मांस उत्पादन के लिए अभिप्रेत अंडा देने वाली मुर्गा प्रजाति का नर मुर्गा अभिप्रेत है;

□बी

(घ) 'पोलार्ड' का तात्पर्य मादा गैलस गैलस से है जिसका मांस उत्पादन हेतु वध किया जाता है तथा जिसे न्यूनतम 120 दिन की आयु में काटा जाता है।

अनुच्छेद 14

इनडोर और आउटडोर के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह क्षेत्रों

मुर्गीपालन के लिए, भंडारण घनत्व तथा आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सतह को अनुबंध I के भाग IV में निर्धारित किया जाएगा।

अनुच्छेद 15

पोल्ट्री घरों की विशेषताएं और तकनीकी आवश्यकताएं

1. पोल्ट्री हाउस का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि सभी पक्षियों को खुली हवा वाले क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच मिल सके। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(क) पोल्ट्री हाउस की बाहरी सीमा में निकास/प्रवेश के लिए छिद्र होंगे, जो खुली हवा वाले क्षेत्रों तक सीधी पहुंच प्रदान करेंगे;

(बी) प्रत्येक एकल निकास/प्रवेश पॉप-होल पर्याप्त आकार का होगा पक्षी;

(ग) पक्षी बिना किसी बाधा के पॉप-होल तक पहुंच सकेंगे;

(घ) कुक्कुट घर की बाहरी सीमा से पॉप-होल की संयुक्त लंबाई कुक्कुट घर के आंतरिक क्षेत्र की न्यूनतम सतह के उपयोग योग्य क्षेत्र के प्रति 100 मीटर² पर कम से कम 4 मीटर होगी;

(ई) जहां पॉप-होल उठाए गए हैं, वहां एक रैंप प्रदान किया जाएगा।

2. बरामदे वाले पोल्ट्री घरों के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(क) आंतरिक घर से बरामदे तक और बरामदे से खुले वायु क्षेत्र तक की बाहरी सीमा में निकास/प्रवेश होगा

बरामदे या खुले हवा वाले क्षेत्र तक आसानी से पहुंचने के लिए पॉप-होल;

(बी) घर के अंदर से बरामदे तक पॉप-होल होंगे

पोल्ट्री हाउस के आंतरिक क्षेत्र की न्यूनतम सतह के प्रयोग योग्य क्षेत्र के प्रति 100 मीटर² पर कम से कम 2 मीटर की संयुक्त लंबाई और

बरामदे से खुले वायु क्षेत्र तक पॉप-होल की संयुक्त लंबाई पोल्ट्री हाउस की न्यूनतम आंतरिक सतह के प्रयोग योग्य क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मीटर पर कम से कम 4 मीटर होगी;

(ग) बरामदे के उपयोग योग्य क्षेत्र को स्टॉकिंग घनत्व की गणना और आंतरिक तथा बाहरी क्षेत्रों की न्यूनतम सतह के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा, जैसा कि अनुलग्नक I के भाग IV में निर्धारित किया गया है। हालांकि, मुर्गीपालन के लिए बनाई गई इमारत का एक अतिरिक्त, छत वाला बाहरी हिस्सा, जिसे इस तरह से इंसुलेट किया गया है कि उसमें बाहरी जलवायु न हो, स्टॉकिंग घनत्व की गणना और आंतरिक क्षेत्रों की न्यूनतम सतह के लिए ध्यान में लिया जा सकता है, जैसा कि अनुलग्नक I के भाग IV में निर्धारित किया गया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(a) यह 24 घंटे पूर्णतः सुलभ है;

(ii) यह विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग II के बिंदु 1.6.1 और 1.6.3 की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है;

(iii) यह पॉप-होल्स के लिए उन्हीं आवश्यकताओं का अनुपालन करता है जो इस अनुच्छेद के बिंदु (ए) और (बी) में बरामदों के लिए निर्धारित की गई हैं;

□बी

(घ) बरामदे का उपयोग योग्य क्षेत्र मुर्गी पालन के लिए मुर्गी घरों के कुल उपयोग योग्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा जैसा कि विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुबंध II के भाग II के बिंदु 1.9.4.4.(एम) में संदर्भित है।

3. कई झुंडों को रखने के लिए अलग-अलग डिब्बों में विभाजित मुर्गी घरों के लिए:

(क) कक्षों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अन्य झुंडों के साथ संपर्क प्रतिबंधित हो तथा विभिन्न झुंडों के पक्षी पोल्ट्री हाउस में एक दूसरे के साथ मिलजुल न सकें;

(ख) पोल्ट्री हाउस के एक कम्पार्टमेंट में निम्नलिखित अधिकतम झुंड आकार लागू होंगे:

(i) 3 000 जनक गैलस गैलस;

(ii) 10 000 मुर्गियाँ;

(iii) 4 800 मोटा करने वाले कुक्कुट गैलस गैलस;

(iv) 2,500 कैपोन्स;

(v) 4,000 मुर्गियाँ;

(vi) 2500 टर्की;

(vii) 2,500 गीज़;

(viii) 3,200 नर पेकिंग बत्तख या 4,000 मादा पेकिंग बत्तख;

(ix) 3,200 नर मस्कॉवी बत्तख या 4,000 मादा मस्कॉवी बत्तख;

(x) 3,200 नर मुलाई बत्तख या 4,000 मादा मुलाई बत्तख;

(xi) 5 200 गिनी मुर्गी;

(ग) कक्षों को गैलस गैलस के अलावा अन्य प्रकार के कुक्कुट पालन के लिए ठोस विभाजनों द्वारा अलग किया जाएगा ; ऐसा ठोस विभाजन कुक्कुट गृह के प्रत्येक कक्ष के भवन के फर्श से छत तक पूर्ण भौतिक पृथक्करण सुनिश्चित करेगा;

(घ) डिब्बों को माता-पिता गैलस गैलस, अंडा देने वाली मुर्गियों, मुर्गियों, भाई मुर्गों और मोटा करने वाले कुक्कुट गैलस गैलस के लिए ठोस विभाजन या अर्ध-बंद विभाजन या जाल या जालियों द्वारा अलग किया जाएगा।

4. पोल्ट्री घरों में बहु-स्तरीय प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है।

बहु-स्तरीय प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(क) बहु-स्तरीय प्रणाली का उपयोग केवल माता-पिता गैलस गैलस, अंडा देने वाली मुर्गियों, भविष्य के अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों, भविष्य के माता-पिता और भाई मुर्गों के लिए किया जा सकता है;

(ख) बहु-स्तरीय प्रणालियों में भूतल सहित उपयोग योग्य क्षेत्र के तीन स्तरों से अधिक नहीं होंगे;

(ग) ऊंचे स्तरों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि नीचे बैठे पक्षियों पर मल गिरने से रोका जा सके तथा उनमें गोबर हटाने की कुशल प्रणाली लगाई जाएगी;

(घ) सभी स्तरों पर पक्षियों का आसानी से निरीक्षण किया जा सकेगा;

(ई) बहु-स्तरीय प्रणालियां यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी पक्षी विभिन्न स्तरों या मध्यवर्ती क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक और आसानी से विचरण कर सकें;

(च) बहु-स्तरीय प्रणालियों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि सभी पक्षियों को खुले वायु क्षेत्रों तक आसानी से समान पहुंच मिल सके।

□बी

5. पोल्ट्री घरों में बैठने के लिए बैठने की जगह या बैठने के लिए ऊँचे स्तर या दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। पक्षियों को छोटी उम्र से ही बैठने की जगह या बैठने के लिए ऊँचे स्तर या दोनों की व्यवस्था की जाएगी, जिसका आकार या अनुपात समूह और पक्षियों के आकार के अनुरूप हो, जैसा कि अनुलग्नक I के भाग IV में निर्धारित किया गया है।

6. पोल्ट्री के लिए मोबाइल पोल्ट्री हाउस का इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि उत्पादन चक्र के दौरान उन्हें नियमित रूप से स्थानांतरित किया जाए ताकि पक्षियों को वनस्पति की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और कम से कम पोल्ट्री के प्रत्येक बैच के बीच ऐसा किया जा सके। अनुलग्नक I के भाग IV के अनुभाग 4 से 9 में निर्धारित पोल्ट्री के लिए स्टॉकिंग घनत्व को अधिकतम 30 किलोग्राम जीवित वजन/मी² तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि मोबाइल हाउस के भूतल की सतह 150 मी² से अधिक न हो।

अनुच्छेद 16

खुली हवा वाले क्षेत्रों की वनस्पति और विशेषताओं की आवश्यकताएं

1. मुर्गीपालन के लिए खुली हवा वाले क्षेत्र पक्षियों के लिए आकर्षक होंगे और सभी पक्षियों के लिए पूरी तरह से सुलभ होंगे।
2. कई पक्षियों के झुंड को रखने के लिए अलग-अलग डिब्बों में विभाजित मुर्गी घरों के लिए, प्रत्येक एकल डिब्बे के अनुरूप खुले हवा वाले क्षेत्रों को अलग किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य पक्षियों के झुंड के साथ संपर्क प्रतिबंधित हो और विभिन्न पक्षियों के झुंड आपस में मिल न सकें।
3. मुर्गीपालन के लिए खुले वायु क्षेत्र मुख्य रूप से विविध प्रकार के पौधों से आच्छादित होंगे।
4. खुले वायु क्षेत्र में पक्षियों को पर्याप्त संख्या में सुरक्षात्मक सुविधाएं या आश्रय या झाड़ियां या पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे, जो पूरे खुले वायु क्षेत्र में वितरित किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पक्षी पूरे खुले वायु क्षेत्र का संतुलित तरीके से उपयोग कर रहे हैं।
5. पोषक तत्वों की अधिकता की संभावना को कम करने के लिए खुली हवा वाले क्षेत्र में वनस्पति का नियमित रखरखाव किया जाएगा।
6. खुली हवा वाले क्षेत्र पोल्ट्री हाउस के निकटतम निकास/प्रवेश पॉप-होल से 150 मीटर की परिधि से आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि, इमारत के निकटतम पॉप-होल से 350 मीटर तक का विस्तार अनुमेय है, बशर्ते कि खराब मौसम और शिकारियों से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में आश्रय पूरे खुले हवा वाले क्षेत्र में समान रूप से वितरित किए गए हों, जिसमें प्रति हेक्टेयर कम से कम चार आश्रय हों। गीज़ के लिए, खुली हवा वाला क्षेत्र पक्षियों को घास खाने की उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की अनुमति देगा।

अनुभाग 5

खरगोश

अनुच्छेद 17

मातृ दूध से पोषण देने की न्यूनतम अवधि

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग II के बिंदु 1.4.1.(जी) में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि, स्तनपान कराने वाले खरगोशों को अधिमानतः मातृ दूध खिलाने के लिए जन्म के 42 दिन बाद होगी।

□बी

अनुच्छेद 18

इनडोर और आउटडोर के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह क्षेत्रों

खरगोशों के लिए, भंडारण घनत्व और इनडोर और आउटडोर क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सतह अनुबंध I के भाग V में निर्धारित अनुसार होगी।

अनुच्छेद 19

मोबाइल या स्थिर आवास की विशेषताएं और तकनीकी आवश्यकताएं

1. चराई के मौसम के दौरान, खरगोशों को चरागाहों पर मोबाइल आवास में या चरागाह तक पहुंच के साथ स्थिर आवास में रखा जाएगा।

2. चराई के मौसम के अलावा, खरगोशों को स्थायी आवास में रखा जा सकता है, जहां उन्हें वनस्पति, अधिमानतः चारागाह, के साथ बाहरी स्थान तक पहुंच प्राप्त हो।

3. चरागाहों पर मोबाइल आवास को यथासंभव स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि चरागाह का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और इसका निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि खरगोशों के लिए फर्श पर चरागाह चरना संभव हो सके।

अनुच्छेद 20

इनडोर और आउटडोर क्षेत्रों की विशेषताएं और तकनीकी आवश्यकताएं

1. स्थिर और गतिशील आवास में आंतरिक क्षेत्र का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि:

(क) इसकी ऊंचाई सभी खरगोशों को कान सीधे करके खड़े होने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यह खरगोशों के विभिन्न समूहों को समायोजित कर सकता है और मोटा करने के चरण में स्थानांतरण पर बच्चों की अखंडता को संरक्षित करने की अनुमति देता है;

(ग) यह संभव है कि नर खरगोशों और गर्भवती तथा प्रजनन करने वाली मादा खरगोशों को विशिष्ट पशु कल्याण कारणों से सीमित अवधि के लिए समूह से अलग किया जाए, बशर्ते कि वे अन्य खरगोशों से आँख से आँख मिलाकर देख सकें;

(घ) यह संभव है कि मादा हिरण घोंसले से दूर चली जाए तथा बच्चों को दूध पिलाने के लिए घोंसले में वापस आ जाए;

(ई) इसमें प्रावधान है:

(i) पर्याप्त अंधेरे में छिपने के स्थानों सहित ढका हुआ आश्रय सभी श्रेणियों के खरगोशों के लिए संख्या;

(ii) सभी मादाओं को जन्म की अपेक्षित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले और कम से कम स्तनपान की समाप्ति तक घोंसलों तक पहुंच प्रदान की जाए।
किट की अवधि;

(iii) पर्याप्त संख्या में किटों के लिए घोंसलों तक पहुंच, न्यूनतम प्रत्येक दूध पिलाने वाली मादा हिरण के लिए एक घोंसला;

(iv) खरगोशों को कुतरने के लिए सामग्री।

2. स्थायी आवास वाली सुविधाओं में बाहरी क्षेत्र का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि:

(क) इसमें पर्याप्त संख्या में उभरे हुए प्लेटफार्म हैं और वे इसकी न्यूनतम सतह पर समान रूप से वितरित हैं;

(बी) यह बाड़ों से घिरा हुआ है जो कि रोकने के लिए पर्याप्त ऊंचे और गहरे हैं
कूदकर या खुदाई करके उड़ान भरना;

□ बी

(ग) यदि इसका बाहरी कंक्रीट क्षेत्र है, तो वनस्पति वाले बाहरी भाग तक आसान पहुंच है। ऐसी आसान पहुंच के बिना, कंक्रीट क्षेत्र की सतह को बाहरी क्षेत्र की न्यूनतम सतह की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है;

(घ) इसमें प्रावधान है:

- (i) पर्याप्त अंधेरे में छिपने के स्थानों सहित ढका हुआ आश्रय सभी श्रेणियों के खरगोशों के लिए संख्या;
- (ii) खरगोशों को कुतरने के लिए सामग्री।

अनुच्छेद 21

वनस्पति एवं विशेषताओं तथा खुले वायु क्षेत्रों के लिए आवश्यकताएँ

1. बाहरी क्षेत्र की वनस्पति का नियमित रूप से रखरखाव किया जाएगा और वह भी इस प्रकार से कि वह खरगोशों के लिए आकर्षक हो।
2. चराई के मौसम के दौरान, चरागाहों को नियमित रूप से घुमाया जाएगा और इस तरह से प्रबंधित किया जाएगा कि खरगोशों की चराई अनुकूलतम हो।

अध्याय 3

जलकृषि पशु

अनुच्छेद 22

प्रत्येक प्रजाति या प्रजाति समूह के अनुसार जलकृषि पशुओं के लिए विस्तृत नियम

जलकृषि पशुओं का उत्पादन करने वाले संचालकों को स्टॉकिंग घनत्व तथा उत्पादन प्रणालियों और नियंत्रण प्रणालियों की विशिष्ट विशेषताओं के संबंध में अनुबंध II में निर्धारित प्रजातियों या प्रजातियों के समूह के अनुसार विस्तृत नियमों का पालन करना होगा।

अध्याय 4

प्रसंस्कृत खाद्य एवं चारा

अनुच्छेद 23

खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में अधिकृत तकनीकें

1. केवल विनियमन (ईपू) 2018/848 के अध्याय II में निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन करने वाली तकनीकों, विशेष रूप से अनुच्छेद 7 में निर्धारित जैविक खाद्य के प्रसंस्करण पर लागू प्रासंगिक विशिष्ट सिद्धांतों, उस विनियमन के अध्याय III के प्रासंगिक नियमों और अनुलनक II के भाग IV में निर्धारित विस्तृत उत्पादन नियमों के साथ जैविक उत्पादन में खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में अधिकृत हैं।

2. विनियमन (ईपू) 2018/848 के अनुलनक II के भाग VI के बिंदु 3 के पूर्वाग्रह के बिना, आयन एक्सचेंज और अवशोषण राल तकनीकें कार्बनिक कच्चे माल की तैयारी के लिए उपयोग किए जाने पर अधिकृत हैं:

(क) क्रमशः बिंदु (क) और (ख) में निर्दिष्ट उत्पादों के लिए,

विनियमन (ईपू) संख्या 609/2013 के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार, बशर्ते कि उन तकनीकों का उपयोग उस विनियमन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हो और संबंधित उत्पादों के लिए उस विनियमन के अनुच्छेद 11(1) के आधार पर अपनाए गए कार्य; या

□बी

(बी) निर्देश 2006/125/ईसी द्वारा विनियमित उत्पादों के लिए, बशर्ते कि उन तकनीकों का उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हो वह निर्देश.

3. जहां कोई सदस्य राज्य मानता है कि अनुच्छेद 1 में उल्लिखित सिद्धांतों और नियमों के अनुपालन के संबंध में किसी विशिष्ट तकनीक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए या उस तकनीक के उपयोग के लिए कुछ विशिष्ट शर्तों को इस विनियमन में शामिल किया जाना चाहिए, तो वह आयोग से ऐसा मूल्यांकन करने का अनुरोध कर सकता है। उस उद्देश्य के लिए, वह आयोग और अन्य सदस्य राज्यों को ऐसे अनुपालन या उन विशिष्ट शर्तों के कारणों को बताने वाले एक डोजियर की सूचना देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि डेटा संरक्षण पर संघ और राष्ट्रीय कानून के अधीन डोजियर को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए।

आयोग प्रथम उप-अनुच्छेद में संदर्भित किसी भी अनुरोध को नियमित रूप से प्रकाशित करेगा।

4. आयोग अनुच्छेद 3 में संदर्भित डोजियर का विश्लेषण करेगा। यदि आयोग द्वारा किए गए विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि डोजियर में वर्णित तकनीक अनुच्छेद 1 में संदर्भित सिद्धांतों और नियमों का अनुपालन करती है, तो आयोग डोजियर में संदर्भित तकनीक को स्पष्ट रूप से अधिकृत करने या इस विनियमन में उपयोग के लिए इसकी विशिष्ट शर्तों को शामिल करने के उद्देश्य से इस विनियमन में संशोधन करेगा।

5. जब भी कोई नया साक्ष्य उपलब्ध होगा या सदस्य राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा, आयोग जैविक खाद्य के प्रसंस्करण के लिए तकनीकों के प्राधिकरण की समीक्षा करेगा, जिसमें उनका विवरण और उपयोग की शर्तें शामिल होंगी।

अनुच्छेद 24

फ्रीड उत्पादों के प्रसंस्करण में उपयोग के लिए अधिकृत तकनीकें

1. केवल विनियमन (ईयू) 2018/848 के अध्याय II में निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन करने वाली तकनीकें, विशेष रूप से अनुच्छेद 8 में निर्धारित जैविक फ्रीड के प्रसंस्करण पर लागू प्रासंगिक विशिष्ट सिद्धांतों, उस विनियमन के अध्याय III के प्रासंगिक नियमों और अनुलनक II के भाग V में निर्धारित विस्तृत उत्पादन नियमों के साथ और जो जैविक फ्रीड के प्रसंस्करण और भंडारण में खोए गए गुणों का पुनर्निर्माण नहीं करते हैं, जो प्रसंस्करण में लापरवाही के परिणामों को ठीक नहीं करते हैं या जो इन उत्पादों की वास्तविक प्रकृति के बारे में भ्रामक हो सकते हैं, जैविक उत्पादन में फ्रीड उत्पादों के प्रसंस्करण में अधिकृत हैं।

2. जहां कोई सदस्य राज्य मानता है कि अनुच्छेद 1 में उल्लिखित सिद्धांतों और नियमों के अनुपालन के संबंध में किसी विशिष्ट तकनीक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए या उस तकनीक के उपयोग के लिए कुछ विशिष्ट शर्तों को इस विनियमन में शामिल किया जाना चाहिए, तो वह आयोग से ऐसा मूल्यांकन करने का अनुरोध कर सकता है। उस उद्देश्य के लिए, वह आयोग और अन्य सदस्य राज्यों को ऐसे अनुपालन या उन विशिष्ट शर्तों के कारणों को बताने वाले एक डोजियर की सूचना देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि डेटा संरक्षण पर संघ और राष्ट्रीय कानून के अधीन डोजियर को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए।

आयोग प्रथम उप-अनुच्छेद में संदर्भित किसी भी अनुरोध को नियमित रूप से प्रकाशित करेगा।

□बी

3. आयोग अनुच्छेद 2 में संदर्भित डोजियर का विश्लेषण करेगा। यदि आयोग द्वारा किए गए विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि डोजियर में वर्णित तकनीक अनुच्छेद 1 में संदर्भित सिद्धांतों और नियमों का अनुपालन करती है, तो आयोग डोजियर में संदर्भित तकनीक को स्पष्ट रूप से अधिकृत करने या इस विनियमन में उपयोग के लिए इसकी विशिष्ट शर्तों को शामिल करने के उद्देश्य से इस विनियमन में संशोधन करेगा।

4. जब भी कोई नया साक्ष्य उपलब्ध होगा या सदस्य राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा, आयोग जैविक फ़ीड के प्रसंस्करण के लिए तकनीकों के प्राधिकरण की समीक्षा करेगा, जिसमें उनका विवरण और उपयोग की शर्तें शामिल होंगी।

अध्याय 5

उपलब्धता के संबंध में जानकारी
जैविक और इन-कन्वर्ज़न प्लांट का बाज़ार
प्रजनन सामग्री, जैविक जानवर और जैविक
जलकृषि किशोर

अनुच्छेद 25

सदस्य राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी

1. सदस्य राज्य विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 53(6) के बिंदु (ए) के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी अनुच्छेद 26(1) में संदर्भित डेटाबेस और अनुच्छेद 26(2) में संदर्भित प्रणालियों और जहां लागू हो, उस विनियमन के अनुच्छेद 26(3) में इस विनियमन के अनुबंध III के भाग I में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार प्रदान करेंगे।

2. सदस्य राज्य विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 53(6) के बिंदु (बी) के अनुसार उस विनियमन के अनुबंध II के भाग I के बिंदु 1.8.5 और इस विनियमन के अनुबंध III के भाग II में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार उस अनुबंध के भाग II के बिंदु 1.3.4.3 और 1.3.4.4 के अनुसार दी गई छूट के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी प्रदान करेंगे।

3. सदस्य राज्य, आयोग द्वारा सदस्य राज्यों को प्रतिवर्ष प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में, पोल्ट्री और पोर्सिन जानवरों के लिए जैविक प्रोटीन फ़ीड की संघीय बाजार में उपलब्धता और उस विनियमन के अनुलग्नक II के भाग II के बिंदु 1.9.3.1 (सी) और 1.9.4.2 (सी) के अनुसार दिए गए प्राधिकरण के संबंध में विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 53 (6) के बिंदु (सी) के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी प्रदान करेंगे।

4. पैराग्राफ 1, 2 और 3 में उल्लिखित जानकारी, प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप और प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

आयोग। □एम1 यह कि वर्ष 2022 के संबंध में सूचना प्रत्येक वर्ष 30 जून तक तथा पहली बार 30 जून 2023 तक उपलब्ध कराई जाएगी।

5. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 53(6) के अनुसार सदस्य राज्यों से प्राप्त पैराग्राफ 1 और 2 में संदर्भित जानकारी को अनुच्छेद 26(1) में संदर्भित डेटाबेस और अनुच्छेद 26(2) में संदर्भित प्रणालियों और जहां लागू हो, उस विनियमन के अनुच्छेद 26(3) में शामिल किया जाएगा।

बी

अध्याय 6

अंतिम और संक्रमणकालीन प्रावधान

अनुच्छेद 26

संक्रमणकालीन प्रावधानों

1. इस विनियमन के अध्याय II की धारा 3 से अपवादस्वरूप, इस विनियमन के लागू होने की तिथि से पहले निर्मित, नवीनीकृत या उपयोग में लाई गई सुविधाओं में सुअर पालने वाले होल्डिंग्स या उत्पादन इकाइयों, विनियमन (ईसी) के अनुपालन में

संख्या 834/2007 और (ईसी) संख्या 889/2008 और जिसके लिए बाहरी सुविधाओं का प्रमुख पुनर्निर्माण आवश्यक है, इस विनियमन के अनुच्छेद 11 में निर्धारित अनुसार ठोस निर्माण से युक्त बाहरी क्षेत्र की सतह के कम से कम आधे हिस्से पर आवश्यकता का अनुपालन करना आवश्यक है, 1 जनवरी 2030 से नवीनतम तक उस अनुच्छेद 1 का अनुपालन करेगा।

2. इस विनियमन के अध्याय II की धारा 4 से अपवादस्वरूप, पोल्ट्री घरों वाली होल्डिंग्स या उत्पादन इकाइयों जो विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 और (ईसी) संख्या 889/2008 के अनुपालन में इस विनियमन के लागू होने की तिथि से पहले निर्मित, नवीनीकृत या उपयोग में लाई गई थीं और जिनके लिए पशुओं के नवीनीकरण की आवश्यकता थी।

यदि परिसर में इनडोर हाउस से बरामदे तक पॉप-होल्स की संयुक्त लंबाई की आवश्यकता को इस विनियमन के अनुच्छेद 15(2) के बिंदु (बी) में पूरा करना आवश्यक है, तो 1 जनवरी 2025 से उस बिंदु 1 का अनुपालन करना होगा।

3. इस विनियमन के अध्याय II की धारा 4 से अपवादस्वरूप, भवन के बाहरी भाग के साथ पोल्ट्री हाउस वाली होल्डिंग्स या उत्पादन इकाइयों जो इस विनियमन के लागू होने की तिथि से पहले निर्मित, नवीनीकृत या उपयोग में लाई गई थीं,

विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 और (ईसी) का अनुपालन संख्या 889/2008 और जिसके लिए इनडोर स्टॉकिंग घनत्व में एक बड़ी कमी या इमारतों के नवीनीकरण की आवश्यकता है ताकि स्टॉकिंग घनत्व की गणना और आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा सके।

अनुच्छेद 15(2) के बिंदु (सी) का अनुपालन करते हुए, इस विनियमन के अनुबंध I के भाग IV में निर्धारित न्यूनतम इनडोर क्षेत्रों को, 1 जनवरी 2025 से नवीनतम तक उन प्रावधानों 1 का अनुपालन करना होगा।

4. इस विनियमन के अध्याय II की धारा 4 से अपवादस्वरूप, पोल्ट्री घरों के साथ होल्डिंग्स या उत्पादन इकाइयों जो विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 और (ईसी) संख्या 889/2008 के अनुपालन में इस विनियमन के लागू होने की तिथि से पहले निर्मित, नवीनीकृत या उपयोग में लाई गई थीं और जिनके लिए अनुच्छेद 15(3) के बिंदु (सी) में निर्धारित ठोस विभाजन की आवश्यकताओं या इस विनियमन के अनुच्छेद 15(5) में निर्धारित बसेरा या बैठने के ऊंचे स्तर की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए जानवरों के परिसर का नवीनीकरण या उपकरणों का प्रतिस्थापन आवश्यक है, उन प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

1 जनवरी 2025 से नवीनतम तक।

5. इस विनियमन के अध्याय II की धारा 4 से अपवादस्वरूप, बहु-स्तरीय पोल्ट्री घरों वाली होल्डिंग्स या उत्पादन इकाइयों जो विनियमन (ईसी) के अनुपालन में इस विनियमन के लागू होने की तिथि से पहले निर्मित, नवीनीकृत या उपयोग में लाई गई थीं।

संख्या 834/2007 और (ईसी) संख्या 889/2008 और जिसके लिए पशुओं के परिसर का एक प्रमुख नवीनीकरण या उपकरणों का प्रतिस्थापन इस विनियमन के अनुच्छेद 15(4) के बिंदु (बी) और (सी) में क्रमशः निर्धारित स्तरों की अधिकतम संख्या और खाद हटाने की प्रणाली पर आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक है, 1 जनवरी 2030 से नवीनतम तक उन बिंदुओं 1 का अनुपालन करेगा।

□बी

6. इस विनियमन के अध्याय II की धारा 4 से अपवादस्वरूप, पोल्ट्री घरों वाली होल्डिंग्स या उत्पादन इकाइयों जिनके खुले हवा वाले क्षेत्र पोल्ट्री घर के निकटतम निकास/प्रवेश पॉप-होल से 150 मीटर की त्रिज्या से आगे तक फैले हैं, इस विनियमन के लागू होने की तिथि से पहले निर्मित, नवीनीकृत या उपयोग में लाए गए हैं।

विनियम (ईसी) संख्या 834/2007 और (ईसी) का अनुपालन

संख्या 889/2008 और जिसके लिए सुविधाओं की संरचना के प्रमुख अनुकूलन या अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण इस विनियमन के अनुच्छेद 16(6) में निर्धारित अधिकतम त्रिज्या की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हैं, 1 जनवरी 2030 से नवीनतम □ तक उस प्रावधान □एम1 का अनुपालन करेंगे।

7. इस विनियमन के अनुलग्नक I के भाग IV की धारा 2 से अपवाद स्वरूप, विनियमन (ईसी) के अनुपालन में इस विनियमन के लागू होने की तिथि से पहले निर्मित, नवीनीकृत या उपयोग में लाई गई पोल्ट्री सुविधाओं में मुर्गियों का उत्पादन करने वाली होल्डिंग्स या उत्पादन इकाइयों के लिए

संख्या 834/2007 और (ईसी) संख्या 889/2008 और जिसके लिए पोल्ट्री घरों की संरचना के प्रमुख अनुकूलन या अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण इस विनियमन के अनुबंध I के भाग IV की धारा 2 के नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक हैं, इस विनियमन के अनुबंध I के भाग IV की धारा 2 में निर्धारित मुर्गियों और भाई मुर्गों के लिए स्टॉकिंग घनत्व और इनडोर और आउटडोर क्षेत्रों की न्यूनतम सतह का अनुपालन करेंगे। □एम1 1 जनवरी 2030 से नवीनतम □ तक।

अनुच्छेद 27

लागू होना और लागू होना

यह विनियमन यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशन के अगले बीसवें दिन लागू होगा।

□एम1

यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

□बी

यह विनियमन सम्पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगा तथा सभी सदस्य राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होगा।

□बी

अनुलमनक I

इनडोर के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह पर नियम
और पशुधन के लिए बाहरी क्षेत्र जैसा कि अध्याय II में उल्लेख किया गया है

भाग I: अनुच्छेद 3 में उल्लिखित गोजातीय पशुओं, भेड़ीय पशुओं, बकरियों तथा अश्वीय पशुओं के लिए इनडोर तथा आउटडोर क्षेत्रों के लिए भंडारण घनत्व तथा न्यूनतम सतह

1. गोजातीय पशु

	इनडोर क्षेत्र (पशुओं के लिए उपलब्ध शुद्ध क्षेत्र)		बाहरी क्षेत्र (व्यायाम क्षेत्र, चारागाह को छोड़कर)
	जीवित वजन न्यूनतम (किलोग्राम)	m ² /हेड	m ² /हेड
	100 तक	1.5	1.1
	200 तक	2.5	1.9
	350 तक	4.0	3
	350 से अधिक	न्यूनतम 5 के साथ 1 मी ² /100 किग्रा	3,7 न्यूनतम 0,75 m ² /100 किग्रा के साथ
डेयरी गार्स		6	4.5
प्रजनन के लिए बैल		10	30

2. भेड़-बकरी पशु और बकरा पशु

	इनडोर क्षेत्र (पशुओं के लिए उपलब्ध शुद्ध क्षेत्र)		बाहरी क्षेत्र (व्यायाम क्षेत्र, चारागाह को छोड़कर)
		m ² /हेड	m ² /हेड
भेड़		1.5	2.5
भेड़ का बच्चा		0.35	0.5
बकरी		1.5	2.5
बच्चा		0.35	0.5

3. अश्वारोही पशु

	इनडोर क्षेत्र (पशुओं के लिए उपलब्ध शुद्ध क्षेत्र)		बाहरी क्षेत्र (अभ्यास क्षेत्र, चारागाह को छोड़कर)
	जीवित वजन न्यूनतम (किलोग्राम)	m ² /प्रति व्यक्ति [घोड़ों की ऊंचाई के अनुसार बक्सों का आकार]	m ² /हेड
मोटा करने वाले पशुओं का प्रजनन और घोड़ा	100 तक	1.5	1.1
	200 तक	2.5	1.9
	350 तक	4.0	3
	350 से अधिक	न्यूनतम 5 के साथ 1 मी ² /100 किग्रा	3,7 न्यूनतम 0,75 m ² /100 किग्रा के साथ

□बी

भाग II: अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अनुसार गर्भाशय ग्रीवा के पशुओं के लिए भंडारण घनत्व और बाहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सतह

गर्भाशय ग्रीवा के जानवरों की प्रजातियाँ	प्रति बाड़े या प्रति बाड़े के लिए न्यूनतम बाहरी सतह	स्टॉकिंग घनत्व वयस्क पशुओं की अधिकतम संख्या (*): प्रति हा
सिका हिरण सर्वस निप्यॉन	1 हेक्टेयर	15
परती हिरण सही सही	1 हेक्टेयर	15
लाल हिरण सर्वस एलाफस	2 हेक्टेयर	7
पिता डेविड का हिरण एलाफुस डेविडियनस	2 हेक्टेयर	7
एक से अधिक गर्भाशय ग्रीवा प्रजातियाँ	3 हेक्टेयर	7 लाल हिरण या परे के मामले में डेविड के हिरण झुंड का हिस्सा है; 15 यदि न तो लाल हिरण और न ही परे डेविड के हिरण झुंड का हिस्सा है

(*) 18 महीने तक के दो गर्भाशय ग्रीवा पशु एक गर्भाशय ग्रीवा पशु के बराबर माने जाएंगे।

भाग III: अनुच्छेद 10 में उल्लिखित अनुसार सुअर पशुओं के लिए इनडोर और आउटडोर क्षेत्रों के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह

		इनडोर क्षेत्र (सुअर पशुओं के लिए उपलब्ध शुद्ध क्षेत्र, जिसका अर्थ है अंदर का आयाम, जिसमें नाँदें शामिल हैं, परंतु फीडर शामिल नहीं हैं, जिनमें सुअर पशु लेट नहीं सकते)	बाहरी क्षेत्र
	जीवित वजन न्यूनतम (किलोग्राम)	m2 / हेड	m2 / हेड
दूध छुड़ाने तक सुअरों के साथ बच्चे पैदा करना		7.5 प्रति बोना	2.5
पशुओं को मोटा करना	सुअर का		
	35 किलोग्राम से अधिक नहीं	0.6	0.4
दूध छुड़ाने वाले, सुअर पालने वाले, गिल्ट, सुअर पालने वाले	35 किलोग्राम से अधिक परंतु 50 किलोग्राम से अधिक नहीं	0.8	0.6
	50 किलोग्राम से अधिक परंतु 85 किलोग्राम से अधिक नहीं	1.1	0.8
	85 किलोग्राम से अधिक परंतु 110 किलोग्राम से अधिक नहीं	1.3	1
	110 किलोग्राम से अधिक	1.5	1.2
मादा सुअर पालन पशु		2.5	1.9
गर्भवती सुअरों को सुखाना			
नर सुअर पशु		6	8
सुअर		10 यदि पेन का उपयोग प्राकृतिक सेवा के लिए किया जाता है	

□बी

भाग IV: अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15(2)(सी) और (6) में उल्लिखित पोल्ट्री के लिए इनडोर और आउटडोर क्षेत्रों के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह और अनुच्छेद 15(5) में उल्लिखित बसेरा या बैठने के ऊंचे स्तर

1. माता-पिता गैलस गैलस भविष्य में अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए अंडे सेने के उत्पादन के लिए अभिप्रेत है और माता-पिता गैलस गैलस भविष्य में मोटा करने वाली मुर्गियों के लिए अंडे सेने के उत्पादन के लिए अभिप्रेत है गैलस गैलस:

आयु	□ 18 सप्ताह
इनडोर क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह पोल्ट्री हाउस के आंतरिक क्षेत्र के उपयोग योग्य क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर में प्रजनन पक्षियों की अधिकतम संख्या	6
भविष्य में अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रजनन पक्षियों के लिए बसेरा न्यूनतम सेमी पर्च/पक्षी	18
घोंसले	प्रति घोंसला 7 मादा पक्षी या सामान्य घोंसला होने पर 120 सेमी ² / मादा पक्षी
बाहरी क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह बाहरी क्षेत्र में प्रति पक्षी न्यूनतम m ²	4

2. मुर्गियाँ और भाई मुर्गा:

इनडोर क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह पोल्ट्री हाउस के आंतरिक क्षेत्र के प्रयोग योग्य क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर में स्टॉकिंग घनत्व	21 किग्रा जीवित वजन/मी ²
बैठने के लिए चबूतरे या ऊंचे स्तर या दोनों	बैठने के लिए बैठने की किसी भी जगह या ऊंचे स्तर या दोनों का संयोजन न्यूनतम 10 सेमी बसेरा/पक्षी या न्यूनतम 100 सेमी ² ऊंचा बैठने का स्तर/पक्षी
बाहरी क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह बाहरी क्षेत्र में प्रति पक्षी न्यूनतम m ²	1

3. मांस और अंडा उत्पादन के लिए पाली गई दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों सहित अंडा देने वाली मुर्गियाँ:

इनडोर क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह पोल्ट्री हाउस के आंतरिक क्षेत्र के उपयोग योग्य क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर में पक्षियों की अधिकतम संख्या	6
---	---

□बी

बसरे न्यूनतम सेमी पर्च/पक्षी	18
घोंसले	प्रति घोसला 7 अंडा देने वाली मुर्गियाँ या सामान्य घोसला होने पर 120 सेमी2 / अंडा देने वाली मुर्गी
बाहरी क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह बाहरी क्षेत्र में प्रति पक्षी न्यूनतम m2	4

4. मुर्गी पालन गैलस गैलस:

इनडोर क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह पोल्ट्री हाउस के आंतरिक क्षेत्र के प्रयोग योग्य क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर में स्टॉकिंग घनत्व	21 किग्रा जीवित वजन/मी2
बैठने के लिए चबूतरे या ऊँचे स्तर या दोनों	बैठने के लिए बैठने की जगह या ऊँचे बैठने के स्तर या दोनों का कोई भी संयोजन जो न्यूनतम 5 सेमी बैठने की जगह/पक्षी या न्यूनतम 25 सेमी2 ऊँचे बैठने की जगह/पक्षी प्रदान करता हो
स्थायी घरों के लिए बाहरी क्षेत्र के लिए भंडारण घनत्व और न्यूनतम सतह बाहरी क्षेत्र में प्रति पक्षी न्यूनतम m2	4
मोबाइल घरों के लिए बाहरी क्षेत्र के लिए भंडारण घनत्व और न्यूनतम सतह बाहरी क्षेत्र में प्रति पक्षी न्यूनतम m2	2.5

5. मुर्गी पालन गैलस गैलस: कैपोन्स और पौलार्डस:

इनडोर क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह पोल्ट्री हाउस के आंतरिक क्षेत्र के प्रयोग योग्य क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर में स्टॉकिंग घनत्व	21 किग्रा जीवित वजन/मी2
बैठने के लिए चबूतरे या ऊँचे स्तर या दोनों	बैठने के लिए बैठने की जगह या ऊँचे बैठने के स्तर या दोनों का कोई भी संयोजन जो न्यूनतम 5 सेमी बैठने की जगह/पक्षी या न्यूनतम 25 सेमी2 ऊँचे बैठने की जगह/पक्षी प्रदान करता हो
बाहरी क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह बाहरी क्षेत्र में प्रति पक्षी न्यूनतम m2	4

6. गैलस गैलस के अलावा अन्य पोल्ट्री को मोटा करना : टर्की मेलेग्रिस गैलोपावो को पूरे के लिए विपणन किया जाता है भूनने या काटने के लिए:

इनडोर क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह पोल्ट्री हाउस के आंतरिक क्षेत्र के प्रयोग योग्य क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर में स्टॉकिंग घनत्व	21 किग्रा जीवित वजन/मी2
---	-------------------------

□बी

बैठने के लिए चबूतरे या ऊँचे स्तर या दोनों	बैठने के लिए बैठने की किसी भी जगह या ऊँचे स्तर या दोनों का संयोजन न्यूनतम 10 सेमी बैठने का स्तर/पक्षी या न्यूनतम 100 सेमी ² ऊंचा बैठने का स्तर/पक्षी
बाहरी क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह	10
बाहरी क्षेत्र में प्रति पक्षी न्यूनतम m ²	

7. गैलस गैलस के अलावा अन्य मुर्गों को मोटा करना : गीज़ एंसर एंसर डोमेस्टिकस:

इनडोर क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह	21 किग्रा जीवित वजन/मी ²
पोल्ट्री हाउस के आंतरिक क्षेत्र के प्रयोग योग्य क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर में स्टॉकिंग घनत्व	
बाहरी क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह	15
बाहरी क्षेत्र में प्रति पक्षी न्यूनतम m ²	

8. गैलस गैलस के अलावा अन्य मोटा करने वाले मुर्गों : पेकिंग बतख अनास प्लैटिरिनचोस डोमेस्टिकस, मस्कॉवी डक्स कैरिना मोस्काटा और हाइब्रिड्स और मुलाई डक्स कैरिना मोस्काटा × अनास प्लैटिरिनचोस:

इनडोर क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह	21 किग्रा जीवित वजन/मी ²
पोल्ट्री हाउस के आंतरिक क्षेत्र के प्रयोग योग्य क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर में स्टॉकिंग घनत्व	
बाहरी क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह	4.5
बाहरी क्षेत्र में प्रति पक्षी न्यूनतम m ²	

9. गैलस गैलस के अलावा अन्य मोटा मुर्गियां : गिनी फाउल्स न्यूमिडा मेलेग्रिस एफ। डोमेस्टिका:

इनडोर क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह	21 किग्रा जीवित वजन/मी ²
पोल्ट्री हाउस के आंतरिक क्षेत्र के उपयोगी क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर स्टॉकिंग घनत्व ।	
बैठने के लिए चबूतरे या ऊँचे स्तर या दोनों	बैठने के लिए बैठने की किसी भी जगह या ऊँचे स्तर या दोनों का संयोजन न्यूनतम 5 सेमी बैठने का स्तर/पक्षी या न्यूनतम 25 सेमी ² ऊंचा बैठने का स्तर/पक्षी
बाहरी क्षेत्र के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह	4
बाहरी क्षेत्र का न्यूनतम m ² / पक्षी	

□बी

भाग V: अनुच्छेद 18 में उल्लिखित अनुसार खरगोशों के लिए इनडोर और आउटडोर क्षेत्रों के लिए स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम सतह

1. इनडोर क्षेत्र के लिए

	इनडोर क्षेत्र (प्लेटफॉर्म m ² / व्यक्ति को छोड़कर प्रति पशु उपयोग योग्य शुद्ध क्षेत्र) विश्राम क्षेत्र के लिए निश्चित आवास	इनडोर क्षेत्र (प्लेटफॉर्म m ² / सिर को छोड़कर प्रति पशु उपयोग योग्य शुद्ध क्षेत्र) विश्राम क्षेत्र मोबाइल आवास
दूध छुड़ाने तक शिशुओं के साथ नर्सिंग	0,6 m ² /हिरणी के साथ यदि मादा हिरण का जीवित वजन 6 किलोग्राम से कम है 0,72 m ² /हिरणी के साथ यदि मादा हिरण का जीवित वजन 6 किलोग्राम से अधिक है	0,6 m ² /हिरणी के साथ यदि मादा हिरण का जीवित वजन 6 किलोग्राम से कम है 0,72 m ² /हिरणी के साथ यदि मादा हिरण का जीवित वजन 6 किलोग्राम से अधिक है
गर्भवती मादा खरगोश और प्रजनन योग्य मादा खरगोश	0,5 m ² / गर्भवती मादा या प्रजनन मादा यदि जीवित वजन 6 किलोग्राम से कम है 0,62 m ² / गर्भवती मादा या प्रजनन मादा यदि जीवित वजन 6 किलोग्राम से अधिक है	0,5 m ² / गर्भवती मादा या प्रजननशील मादा यदि जीवित वजन 6 किलोग्राम से कम है 0,62 m ² / गर्भवती मादा या प्रजननशील मादा यदि जीवित वजन 6 किलोग्राम से अधिक है
मोटा करने वाले खरगोशों को वध के लिए दूध छुड़ाना प्रतिस्थापन खरगोश (मोटापे के अंत से 6 महीने तक)	0,2	0,15
वयस्क हिरन	0,6 1 यदि हिरन संभोग के लिए प्राप्त करता है	0,6 1 यदि हिरन संभोग के लिए प्राप्त करता है

2. बाहरी क्षेत्र के लिए

	आउटडोर क्षेत्र (बनस्पति सहित आउटडोर स्न, अधिमानतः चारगाड़) (प्लेटफॉर्म m ² / प्रति पशु को छोड़कर प्रति पशु उपयोग योग्य शुद्ध क्षेत्र) निश्चित आवास	बाहरी क्षेत्र (प्लेटफॉर्म m ² / प्रति व्यक्ति को छोड़कर प्रति पशु उपयोग योग्य शुद्ध क्षेत्र) मोबाइल आवास
दूध छुड़ाने तक शिशुओं के साथ नर्सिंग	2,5 m ² /डोई किट के साथ	2,5 m ² /डोई किट के साथ
गर्भवती मादाएं/प्रजनन योग्य मादाएं	2,5	2,5
मोटा करने वाले खरगोशों को वध के लिए दूध छुड़ाना प्रतिस्थापन खरगोश (मोटापे के अंत से 6 महीने तक)	0,5	0,4
वयस्क हिरन	2,5	2,5

बी

अनुलग्नक II

स्टॉकिंग घनत्व और के संबंध में विस्तृत नियम

उत्पादन प्रणालियों और रोकथाम की विशिष्ट विशेषताएं

अनुच्छेद 22 में उल्लिखित जलकृषि पशुओं के लिए प्रणालियाँ

भाग I: ताजे पानी में सैल्मोनिड्स

ब्राउन ट्राउट (साल्मो ट्रुटा) - रेनबो ट्राउट (ओनकोरहिन्चस माइकिस्स) - अमेरिकन ब्रुक ट्राउट (साल्वेलिनस फॉन्टिनालिस) - सैल्मन (सैल्मो सालार) - आर्कटिक चार (साल्वेलिनस एल्पिनस) - ग्रेलिंग (थाइमलस थाइमैलस) - अमेरिकी लेक ट्राउट (या ग्रे ट्राउट) (साल्वेलिनस नामायकुश) - हुचेन (हुचो हुचो)

उत्पादन प्रणालियाँ	बढ़ते हुए फार्म सिस्टम को खुली प्रणालियों से ही पानी दिया जाना चाहिए। प्रवाह दर को स्टॉक के लिए न्यूनतम 60% ऑक्सीजन संतृप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें आराम और खेती के अपशिष्ट को खत्म करना सुनिश्चित करना चाहिए।
अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व	सैल्मोनिड प्रजातियाँ 15 किग्रा/एम3 से नीचे सूचीबद्ध नहीं हैं सैल्मन 20 किग्रा/एम3 ब्राउन ट्राउट और रेनबो ट्राउट 25 किग्रा/एम3 आर्कटिक चार 25 किग्रा/मी3

भाग II: समुद्री जल में सैल्मोनिड्स

सैल्मन (साल्मो सालार), ब्राउन ट्राउट (साल्मो ट्रुटा) - रेनबो ट्राउट (ओनकोरहिन्चस माइकिस्स)

अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व	नेट पेन में 10 किग्रा/एम3
-----------------------	---------------------------

भाग III: कॉड (गैडस मोरहुआ) और अन्य मछलियाँ, समुद्री बास (डाइसेंट्रार्चस लैब्राक्स), समुद्री ब्रीम (स्पारस ऑराटा), अल्प (आर्गाइरोसोमस रेगियस), टर्बोट (पेसेटा मैक्सिमा [= स्कोप्थालमस मैक्सिमस]), लाल पोगी (पैग्रस पैग्रस [= स्पारस पैग्रस]), लाल ड्रम (सियाएनोप्स ओसेलेटस)

और अन्य स्पारिडे, और स्पाइन्फ्रीट (सिगानस एसपीपी)

उत्पादन प्रणालियाँ	खुले पानी की रोकथाम प्रणालियों (जाल पेन/पिंजरो) में न्यूनतम समुद्री प्रवाह गति के साथ इष्टतम मछली कल्याण प्रदान करने के लिए या भूमि पर खुली प्रणालियों में।
अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व	टर्बोट के अलावा अन्य मछलियों के लिए: 15 किग्रा/एम3 टर्बोट के लिए: 25 किग्रा/मी2

□बी

भाग IV: ज्वारीय क्षेत्रों और तटीय लैगून के मिट्टी के तालाबों में समुद्री बास, समुद्री ब्रीम, मेग्रे, मुलेट (लिजा, मुगिल) और ईल (एंगुइला प्रजाति)

रोकथाम प्रणाली	पारंपरिक नमक के तालाबों को जल-कृषि उत्पादन इकाइयों में परिवर्तित किया गया तथा ज्वारीय क्षेत्रों में इसी प्रकार के मिट्टी के तालाब बनाए गए
उत्पादन प्रणालियाँ	प्रजातियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पानी का पर्याप्त नवीनीकरण होना चाहिए। कम से कम 50% बांधों पर पौधे होने चाहिए। आर्द्रभूमि आधारित शुद्धिकरण तालाबों की आवश्यकता है।
अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व	4 किगा/एम ³

भाग V: ताजे पानी में स्टर्जन

संबंधित प्रजातियाँ: एसिपेंसर परिवार

उत्पादन प्रणालियाँ	पशु कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पालन इकाई में जल प्रवाह पर्याप्त होना चाहिए। बहिःसाव जल की गुणवत्ता आने वाले जल के समतुल्य होनी चाहिए।
अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व	30 किगा/एम ³

भाग VI: अंतर्देशीय जल में मछलियाँ

संबंधित प्रजातियाँ: कार्प परिवार (साइप्रिनिडे) और पॉली-कल्चर के संदर्भ में अन्य संबद्ध प्रजातियाँ, जिनमें पर्च, पाइक, कैटफिश, कोरगोनिड्स, स्टर्जन शामिल हैं।

मोनोकल्चर में पर्च (पेर्का फ्लुवियटिलिस)

उत्पादन प्रणालियाँ	<p>मछली तालाबों में समय-समय पर पानी पूरी तरह से खाली होना चाहिए तथा झीलों में भी। झीलों को विशेष रूप से जैविक उत्पादन के लिए समर्पित किया जाना चाहिए, जिसमें सूखे क्षेत्रों में फसलें उगाना भी शामिल है।</p> <p>मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वच्छ जल प्रवेश द्वारा होना चाहिए तथा मछलियों के लिए अधिकतम आराम प्रदान करने के लिए इसका आकार भी होना चाहिए। मछली पकड़ने के बाद मछलियों को स्वच्छ जल में संग्रहित किया जाना चाहिए।</p> <p>जैविक जलकृषि के नियमों के अनुसार, कृषि कार्य में शामिल न होने वाले बाहरी भूमि क्षेत्रों के लिए बफर जोन के रूप में अंतर्देशीय जल इकाइयों के आसपास प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्रों को बनाए रखा जाना चाहिए।</p> <p>गो-आउट के लिए 'पॉलीकल्चर' का उपयोग इस शर्त पर किया जाना चाहिए कि झील की मछलियों की अन्य प्रजातियों के लिए वर्तमान विनिर्देशों में निर्धारित मानदंडों का विधिवत पालन किया जाए।</p>
--------------------	---

बी

अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व	प्रजातियों का कुल उत्पादन प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 1500 किलोग्राम मछली तक सीमित है (उत्पादन प्रणाली की विशिष्ट विशेषता के कारण कृषि उपज के रूप में प्रदान किया जाता है)।
अधिकतम भंडारण घनत्व केवल मोनोकल्चर में पर्व के लिए	20 किग्रा/एम3

भाग VII: पेनेड्ड डींगा और मीठे पानी के डींगे (मैक्रोब्रेकियम एसपीपी.)

उत्पादन प्रणालियाँ	तालाब निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए स्थान बंजर मिट्टी वाले क्षेत्रों में होना चाहिए। तालाबों का निर्माण पहले से मौजूद प्राकृतिक मिट्टी से किया जाएगा।
अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व	बीजारोपण: अधिकतम 22 पोस्ट लार्वा/m ² अधिकतम तात्कालिक बायोमास: 240 ग्राम/मी ²

भाग VIII: क्रेफिश

संबंधित प्रजातियाँ: एस्टाकस एस्टाकस.

अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व	छोटे आकार के क्रेफिश के लिए (< 20 मिमी): 100 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर मध्यम आकार (20-50 मिमी) के क्रेफिश के लिए: 30 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर वयस्क क्रेफिश (> 50 मिमी) के लिए: 5 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर, बशर्ते पर्याप्त छिपने की जगह हो उपलब्ध हैं.
-----------------------	---

भाग IX: मोलस्क और इकाइनोडर्म

उत्पादन प्रणालियाँ	लंबी-लाइनें, राफ्ट, बॉटम कल्चर, नेट बैग, पिंजरे, ट्रे, लालटेन जाल, बोचोट पोल और अन्य रोकथाम प्रणालियाँ। राफ्ट पर मसल्स की खेती के लिए ड्रॉप-रस्सियों की संख्या सतह क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। ड्रॉप-रोप की अधिकतम लंबाई 20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्पादन चक्र के दौरान ड्रॉप-रोप को पतला नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि स्टॉकिंग घनत्व को बढ़ाए बिना ड्रॉप रोप को उप-विभाजित किया जा सकता है।
--------------------	---

□बी

भाग X: उष्णकटिबंधीय ताजे पानी की मछलियाँ: मिल्कफिश (चानोस चानोस), तिलापिया (ओरियोक्रोमिस एसपीपी.), सियामीज़ कैटफिश (पंगासियस एसपीपी.)

उत्पादन प्रणालियाँ	तालाब और जाल पिंजरे
अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व	घनत्व: 10 किग्रा/मी ³ ओरियोक्रोमिस: 20 किग्रा/एम ³

बी

अनुलम्बक III

सदस्य राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी

अनुच्छेद 25 में संदर्भित

भाग I: अनुच्छेद 26(1) में संदर्भित डेटाबेस से जानकारी और अनुच्छेद 26(2) में संदर्भित सिस्टम और, जहां लागू हो, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 26(3) में

1. अनुच्छेद 26(1) में संदर्भित डेटाबेस में या विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 26(2)(ए) में संदर्भित प्रणालियों में सहेजे गए प्रत्येक विशिष्ट श्रेणी के लिए, अंकुरों को छोड़कर लेकिन बीज आलू सहित, जैविक और रूपांतरण में पौधों की प्रजनन सामग्री की उपलब्धता से संबंधित जानकारी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

— वैज्ञानिक और सामान्य नाम (सामान्य और लैटिन नाम);

— विविधता या विषम सामग्री संप्रदाय;

— ऑपरेटर्स द्वारा अनुमानित रूप से उपलब्ध रूपांतरण मात्रा (कुल इकाइयों की संख्या या बीज का वजन);

— ऑपरेटर्स द्वारा अनुमानित जैविक मात्रा उपलब्ध (कुल इकाइयों की संख्या या बीज का वजन);

— अनुच्छेद 26(2) के अनुसार सूचना अपलोड करने वाले ऑपरेटर्स की संख्या
विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर।

इस बिन्दु के प्रयोजन के लिए, 'अंकुर' का तात्पर्य बीज से उत्पन्न युवा पौधे से है, न कि कलम से।

2. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 26(2) के बिंदु (सी) में संदर्भित प्रणालियों में संरक्षित प्रत्येक प्रजाति के लिए जैविक जलीय कृषि किशोरों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

— प्रजातियाँ और वंश (सामान्य और लैटिन नाम);

— नस्लें और उपभेद जहां लागू हो;

— जीवन स्तर (जैसे अंडे, तलना, किशोर) जैविक के रूप में बिक्री के लिए उपलब्ध;

— ऑपरेटर्स द्वारा अनुमानित उपलब्ध मात्रा;

— परिषद निर्देश 2006/88/ईसी (1) के अनुरूप स्वास्थ्य स्थिति ;

— अनुच्छेद 26(2) के अनुसार सूचना अपलोड करने वाले ऑपरेटर्स की संख्या
विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर।

3. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 26(2) के बिंदु (बी) में संदर्भित प्रणालियों में संरक्षित प्रत्येक प्रजाति के लिए जैविक जानवरों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

— प्रजातियाँ और वंश (सामान्य और लैटिन नाम);

— नस्लें और उपभेद;

— उत्पादन उद्देश्य: मांस, दूध, दोहरे उद्देश्य या प्रजनन;

— जीवन स्तर: वयस्क या युवा जानवर (यानी गोजातीय जानवर < 6 महीने, गोजातीय वयस्क);

(1) जलीय कृषि पशुओं और उनके उत्पादों के लिए पशु स्वास्थ्य आवश्यकताओं और जलीय पशुओं में कुछ बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण पर 24 अक्टूबर 2006 का परिषद निर्देश 2006/88/ईसी (ओजे एल 328, 24.11.2006, पृष्ठ 14)।

□बी

- ऑपरेटर्स द्वारा अनुमानित उपलब्ध मात्रा (पशुओं की कुल संख्या);
 - पशु स्वास्थ्य क्षेत्र नियमों के अनुरूप स्वास्थ्य स्थिति
 - अनुच्छेद 26(2) के अनुसार सूचना अपलोड करने वाले ऑपरेटर्स की संख्या
विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार स्वीच्छिक आधार पर।
4. जहां प्रासंगिक हो, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 26(3) में संदर्भित प्रजातियों के लिए जैविक उत्पादन के लिए अनुकूलित जैविक नस्लों और उपभेदों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- प्रजातियाँ और वंश (सामान्य और लैटिन नाम);
 - नस्लें और उपभेद;
 - उत्पादन उद्देश्य: मांस, दूध, दोहरे उद्देश्य या प्रजनन;
 - ऑपरेटर्स द्वारा अनुमानित उपलब्ध मात्रा (पशुओं की कुल संख्या);
 - पशु स्वास्थ्य क्षेत्र नियमों के अनुरूप स्वास्थ्य स्थिति;
 - अनुच्छेद 26(3) के अनुसार सूचना अपलोड करने वाले ऑपरेटर्स की संख्या
विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार स्वीच्छिक आधार पर।
5. जहां प्रासंगिक हो, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 26(3) में उल्लिखित जैविक मुर्गियों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- प्रजातियाँ और वंश (सामान्य और लैटिन नाम);
 - नस्लें और उपभेद
 - उत्पादन उद्देश्य: मांस, अंडे, दोहरे उद्देश्य या प्रजनन;
 - ऑपरेटर्स द्वारा अनुमानित उपलब्ध मात्रा (पशुओं की कुल संख्या);
 - पालन प्रणाली (बहु-स्तरीय है या नहीं, बताएं)
 - पशु स्वास्थ्य क्षेत्र नियमों के अनुरूप स्वास्थ्य स्थिति;
 - अनुच्छेद 26(3) के अनुसार सूचना अपलोड करने वाले ऑपरेटर्स की संख्या
विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार स्वीच्छिक आधार पर।
- भाग II: विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग I के बिंदु 1.8.5 और उस अनुलग्नक के भाग II के बिंदु 1.3.4.3 और 1.3.4.4 के अनुसार दी गई छूटों से संबंधित जानकारी
1. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग I के बिंदु 1.8.5 के अनुसार दी गई छूटों की जानकारी में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- वैज्ञानिक और सामान्य नाम (सामान्य और लैटिन नाम);
 - विविधता;
 - अवक्रमणों की संख्या और बीजों का कुल वजन या पौधों की संख्या
अपमानित;

□बी

- अवमूल्यन के लिए औचित्य: चाहे अनुसंधान के लिए, उपयुक्त किस्म की कमी, संरक्षण उद्देश्य या अन्य कारणों से;
 - जहां लागू हो, अनुसंधान उद्देश्य के अलावा अन्य कारणों के लिए छूट के संबंध में, उन प्रजातियों की सूची जिनके लिए कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि वे जैविक रूप में पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं।
2. प्रत्येक पारंपरिक पशुधन प्रजाति (गोजातीय, अश्व, अंडा, बकरी, सुअर और गर्भाशय ग्रीवा पशु, खरगोश, मुर्गी) के लिए, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग II के बिंदु 1.3.4.3 और 1.3.4.4 के अनुसार दी गई छूट की जानकारी में शामिल होंगे:
- वैज्ञानिक और सामान्य नाम (सामान्य और लैटिन नाम यानी प्रजाति और जीनस);
 - नस्लें और उपभेद;
 - उत्पादन उद्देश्य: मांस, दूध, अंडे, दोहरे उद्देश्य या प्रजनन;
 - अपमानित पशुओं की संख्या और अपमानित पशुओं की कुल संख्या;
 - अवमूल्यन के लिए औचित्य: क्या उपयुक्त पशुओं की कमी है या अन्य कारण।